रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1540] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2007/अग्रहायण 22, 1929

No. 1540] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2007/AGRAHAYANA 22, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2126(अ).— केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण , पुडुचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पुडुचेरी कहा गया है) का गठन करती है जिसमें पुडुचेरी सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :-

1.	प्रो0 एम0ए0शिवशंकर,हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पाडिचेरी इंजीनियरिंग कालेज, पुडुचेरी-605014	अध्यक्ष पर्यावरण गुणवत्ता
2	प्रो0 अनिसा बशीर खान, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विभाग, पाण्डिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आर वी नगर, पुडुचेरी 605014	जीव विज्ञान
3.	श्री एम अरुणाचलम , निदेशक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति	सदस्य-सचिव

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, पुडुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है ।

4. प्राधिकरण, पुडुचेरी इस आदेश में पुडुचेरी सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. पुडुचेरी राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रुप में कार्य करने के लिए अधिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता पुडुचेरी सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार, पुडुचेरी राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुडुचेरी का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

1	प्रो0 एम पी रामानुजम, रीडर के0एम0,पी0जी0स्टडीज सेन्टर, पुडुचेरी	अध्यक्ष, जीव विज्ञान
2	डा0 जी पोयामोली, रीडर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग, पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	सदस्य, ई आई ए, प्रक्रिया
3	डा0 आर सारावनन, सहायक प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पाण्डिचेरी, इंजीनियरिंग कालेज, पुडुचेरी-605014	सदस्य, जोखिम मूल्यांकन
4	डा0 टी0नम्बीराजन, रीडर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट. स्टडीज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी- 605014	सदस्य, प्रबंधन
5	डा0 एल0 नटराजन, डीन पंडित जवाहरलाल नेहरु कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, कराईकल, पुडुचेरी-609603	सदस्य, जीव विज्ञान
6	डा0 एस0गणपति, वेंकटसुवर्मण्यन, सहायक प्रोफेसर, सेंटर फॉर, एनवायरनमेंटल स्टडीज अन्ना यूनिवर्सिटी, चैन्नई- 6000 25	सदस्य, ई आई ए , प्रक्रिया

7	डा0 के0के0 सिवदासन, प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान विभाग, महत्मागांधी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, महे, न्यू महे,पोस्ट- 673311	सदस्य जीव-विज्ञान
8	डा0 एस0भीरावमूर्ति , प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, डा0 एस0आर0के0 गवर्नमेण्ट आर्ट्स कॉलेज, यानम, डी नं0 8-330,1 क्रासस्ट्रीट जेकरियानगर, यानम- 533464	सदस्य, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र
9	डा0के सुंदरा वाडिवेलु, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, तृतीय तल,पीएचबी बिल्डिंग, अन्ना नगर, पुडुचेरी-5	सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी पुडुचेरी का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुर्नगठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी , पुडुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी है ।

9. एस ई ए सी पुडुचेरी सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. पुडुचेरी राज्य सरकार,एस ई ए सी पुडुचेरी के सचिवालय के रुप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचति करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी । एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई पुडुचेरी राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/51/2007-आई ए-II (I)]

रा. आनन्दकुमार, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2007

S.O. 2126(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Puducherry (hereinafter referred to as the Authority, Puducherry) comprising of three members namely,

Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Puducherry as under:

1.	Prof M.A. Sivasankaran, Head of the Department Department of Civil Engineering, Pondicherry Engineering College, Puducherry- 605 014	Chairman, Environment Quality
2.	Prof. Anisa Basheer Khan, Dept. of Environment and Ecology, Pondicherry Central University, R.V. Nagar, Puducherry- 605 014	Life Sciences
3.	Sh. M. Arunachalam, Director Dept. of Science , Technology and Environment, Pondicherry Pollution Control Committee	Member Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Puducherry shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Puducherry in this order.

5. The State Government of Puducherry shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance / Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Puducherry as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Puducherry, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members:

1.	Prof. M.P. Ramanujam, Reader, K.M. Centre for PG Studies, Puducherry	Chairman, Life Sciences

2	Dr. G. Poyyamoli, Reader, Dept. of Environment & Ecology, Pondicherry University	Member, EIA Process
3	Dr. R. Saravanan Asst. Professor Civil Engineering Dept. Pondicherry Engineering College Puducherry- 605 014	Member, Risk Assessment
4	Dr. T. Nambirajan Reader Department of Management Studies, School of Management Pondicherry University Puducherry- 605 014	Member, Management
5	Dr. L. Natarajan Dean Pandit Jawaharlal Nehru College of Agriculture, Karaikal Puducherry- 609 603	Member, Life Sciences
6	Dr. S. Ganapathy Venkatasubramanian, Asst. Professor, Centre for Environmental Studies, Anna University Chennai- 600 025	Member, EIA Process
7	Dr. K.K. Sivadasan Lecturer Department of Botany Mahatma Gandhi Govt. Arts College Mahe New Mahe Post- 673 311	Member, Life Sciences
8.	Dr. S. Bhyravamurthy Lecturer Dept. of Economics Dr. S.R.K. Govt. Arts College Yanam D No. 8- 330, 1 Cross Street Zecria Nagar, Yanam- 533 464	Member, Environmental Economics

9. Dr. K. Sundaravadivelu Secretary
Senior Scientific Officer
Dept. of Science, Technology
and Environment,
3rd Floor, PHB Building,
Anna Nagar, Puducherry- 5

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Puducherry shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Puducherry shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Puducherry shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Puducherry and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance / Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Puducherry as per State rules.

[No. J-11013/51/2007-IA. II (I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.